

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा की श्रीमती राखी मेहता व्या. इतिहास राउमावि रूपाहेलीकलां-चाकसू-जयपुर का उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चाकसू-जयपुर द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियम-1951 के प्रावधानों के तहत निम्न अवधि के अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

क्र.स	अवकाश का प्रकार	राजस्थान सेवा नियम	अवकाश अवधि व दिवस
1	अर्द्धवैतनिक अवकाश (H.P.L)	नियम-93	दिनांक 01.10.2019 से 31.01.2020 (123 दिवस)
2	उपार्जित अवकाश (P.L)	नियम-91	दिनांक 01.02.2020 से 10.03.2020 (39 दिवस)

संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवकाश स्वीकृति का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से करे।


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/PL-HPL/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

दिनांक 07/10/2020


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

श्री रामकुमार गोदारा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि खैरुवाला, धोलीपाल, सादुलशहर के Brain Hemorrhage के कारण निम्नांकित अवधि का उपार्जित/अर्द्धवेतन अवकाश मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलशहर श्रीगंगानगर की अभिशंषा व चिकित्सा आधार पर एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	अवकाश अवधि	दिवसों की संख्या
1	उपार्जित अवकाश (राजस्थान सेवा नियम 91)	18.06.2019 से 30.06.2019	013 दिन
2	अर्द्धवेतन अवकाश (राजस्थान सेवा नियम 93)	01.07.2019 से 31.03.2020	275 दिन

कार्मिक के उपार्जित/अर्द्धवेतन अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावें।

Note:- कार्मिक के उक्त अवधि के अलावा दिनांक 01.04.2020 से 23.06.2020 तक लॉकडाउन अवधि का अवकाश प्रकरण वित्त विभाग के परिपत्र No. F.1(1)FD/Rules/2012 Jaipur, Dated: 24 SEP 2020 के प्रदत्त निर्देशानुसार निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।


(सौरम स्वामी)
निदेशक,
आई.एस.एस.


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 07/10/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 3 संबंधित संस्था प्रधान.....।
- 4 संबंधित कार्मिक.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर